

तारीख
हुकम

जीता देती बनाए रिपुटाम को

हुकम या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रावली चरणदी सिद्धांत 30-1-2023

दिये जाने व कठिना अवसर दिये जाने के
बावजूद भी जकाब को आई पेश नहीं करने पर
जकाब देही बन्द की जाती है। वास्तव बहस में
आई. पत्रावली दिनांक 30-1-2023 को पेश है।

30-1-23

वकील
अपस्थिति
दिनांक

(अपस्थिति)

दिनांक
30.1.23

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

वकूलाय उभय पक्षकारान् उपर)
वकील अप्रावली ने प्रकरण के आण्ड के
बहस सुनी जाने का निवेदन किया। जिस
पर वकील प्रार्थी बहस के अवसर माँगे
है। न्यायमधिक में बहस हेतु अनिवार्य अवसर
दिया जाता है। वास्तव बहस आवश्यक वक्त
से पत्रावली दिनांक 02-02-2023 को
पेश है।

दिलीप सिंह

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर

02.02.2023

पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय

पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में बहस वकूलाय उभय
पक्षकारान् बहु पक्षीय सुनी गई। वास्तव निर्णय/ आदेश प्रार्थना
पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट
पत्रावली दिनांक 20.02.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

21.02.2023

दिनांक 20.02.2023 को इकजाई तारीख पेशी देने
पर पत्रावली आज पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित।
प्रकरण में बहस वकूलाय उभय पक्षकारान् पूर्व में बहुपक्षीय
चुकी है। वकील प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा



- लगातार -


गीता डी कन्या डिस्ट्रिक्ट को

हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज

प्रा. पत्र अस्थाई निषेध 21/09/23

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तालीम
में जारी हुए

न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य नहीं पाये जाने पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अस्वीकार कर खारिज की जाती है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


21/09/23

(दिलीप सिंह)

उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)